न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद– 07/2012

शकल सिंह वगैरह.....वादी

बनाम

जगरनाथ सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

28.03.23 अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–31.01.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–28.02.2023 पर सुनवाई पश्चात आदेशार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेन्ट के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी के द्वारा एम0आर0 नं0 121/2011 धारा– 144 द0प्र0सं0 का आदेश एवं आदेश दिनांक 05.12.2012 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति कूल 04 फर्द में दाखिल किया गया।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वादपत्र के मद नं0–2 में वर्णित भू–भाग एम0 आर0 नं0 121/2011 धारा 145 द0 प्र0 सं0 की प्रकिया में पूर्ण जॉचोंपरान्त सुनवाई उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी के आदेशानुसार धारा 146 (1) द0 प्र0 सं0 के तहत् जप्त करते हुए थाना मो0 नगर को रिसिवर नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त करवाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में जप्त भूमि का देखभाल एवं उससे हुए आमदनी के रूपये को ससमय रिसिवर को नजारत में जमा किया जाना था जो आजतक जमा नहीं किया गया है। यह कि प्रस्तुत वाद के मद नं0 02 में वर्णित भू–भाग का भौतिक स्थिति एवं पूर्व तथा वर्तमान् की स्थिति अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर न्यायहित में अभिलेख पर मॉगाया जाना अति आवश्यक है। अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन मॉगाये जाने से वादी को कोई पूर्वाग्रहं नहीं होगा और न ही कोई क्षति होगी। वादी अधिवक्ता आयुक्त का खर्च वहन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने यह निवेदन किया है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त आवेदन दाखिल करने का प्रतिवादी आवेदक को कोई अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत आवेदन सिर्फ वाद को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की मंशा से दाखिल किया गया है। यह कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 1403.2022 को निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया था जो सुनवाई पश्चात् खारिज हो चुका है। जिसके बाद यह आवेदन वाद की कार्रवाई को लंबित रखने के उद्धेश्य से दाखिल किया गया है। यह कि विवादित भू–भाग पर वर्तमान् समय में वादी द्वारा गेहूँ का फसल लगाया हुआ है। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 31.01.2023 को खारिज करने की कृपा की जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद सं0–2 में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी के द्वारा पारित आदेश को शून्य एवं वादी पर अबाध्यकारी को घोषित करने के लिए तथा जमाबन्दी नं0 375, 312, 341 तथा 38 के सम्बन्ध में प्राप्त लगान रसीद को शून्य घोषित कराने एवं मद नं0 01 पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु दाखिल किया है। विवादित भू–भाग के सम्बन्ध में विवादी भूमि पर किसी प्रकार अण्वेषण उसके वैज्ञानिक माप द्वारा ही सम्भव है जो सामान्य अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया जा सकता है, परन्तु वर्तमान में यह वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित है। इसलिए दूसरी ओर से जब तक प्रतिवादी के स्वंय का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ जाता है तब तक किसी प्रकार का कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन मंगाया जाना यह निर्देशित करेगा कि न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार के पक्ष में कब्जा के संदर्भ में साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। अतः वर्तमान परिस्थिति में विवादी भूमि के संबंध में बिना प्रतिवादी साक्ष्य की उपलब्धता के प्रतिवेदन मंगाया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अत्एव उनका आवेदन खारिज किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अपना साक्ष्य बिना सफलता के प्रस्तुत करें।

दिनांक– **11.04.2023** वास्ते वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 28.02.2023 पर सुनवाई हेतु।

कनीय न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी।